

// आवश्यक सूचना //

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित/प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी जो कि योजना की पात्रता की शर्तें पूर्ण करते हैं ऐसे विद्यार्थियों का प्रवेश महाविद्यालय में निःशुल्क दिया जाना है ।

प्रथम चरण में दिनांक 28.06.17 तक ऐसे पात्र विद्यार्थी जो कि प्रवेश हेतु पोर्टल के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर चुके हैं उनके प्रवेश शुल्क महाविद्यालय से वापस किया जाना है । अतः योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थी शुल्क वापसी हेतु पात्रता प्रमाण-पत्रों के साथ **दिनांक 06.07.17 को आवश्यक रूप से 02.00 बजे** तक प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित हों, जिससे प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया शीघ्र की जा सके ।

पात्रता की शर्तें –

1. विद्यार्थी म.प्र. का निवासी हो ।
2. विद्यार्थी के पिता/पालक की आयु छः लाख रु. से कम हो ।
3. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा CBSE/ICSC द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों ।

प्र. प्राचार्य
शा.आदर्श विज्ञान महा.ग्वालियर ।